न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 37 / 2018

दायर दिनांक :– 28 / 03 / 2018

निर्णय दिनांक :–26 / 02 / 2026

अनवान्

रमेश पिता किशन बलाई निवासी पुठोल ग्राम पंचायत मुण्डोल तहसील व जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. रतनी पति गोपीलाल पिता जेता बलाई निवासी खेडा बोरज तहसील व जिला राजसमन्द
2. देउ पति भंवर पिता जेता बलाई निवासी वाडा पसुन्द तहसील व जिला राजसमन्द
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से – श्री मदनलाल सालवी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से – पैरोकार सरकार

दिनांकः–26 / 02 / 2026

वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

– : : निर्णय : : –

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम चांपाखेडी पटवार हल्का पछमता तहसील रेलमगरा की वर्तमान जमाबन्दी में आराजी संख्या 20 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 21 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 22 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 38 रकबा 3 बीधा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 40 रकबा 2 बीधा कुल किता–05 कुल रकबा 6–13 छः बीघा तरह बिस्वा गांव चांपाखेडी की सरहद में स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की निम्न पैतृक कृषि भूमियां स्थित हैं प्रमाण में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी प्रस्तुत है। ग्राम चांपाखेडी में वादी के आधिपत्य की कृषि भूमियां स्थित है जिसके आराजी नम्बर 39 रकबा 1 बीधा 9 बिस्वा हैं। वादी को श्रीमति कंकु बाई पति वरदा बलाई ने बचपन में ही अर्थात वादी के नाबालिग अवस्था में ही गौदपत्र के रूप में स्वीकार कर लिखापढी निष्पादित कर दी तथा सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार वादी को अपनी गोद में बिठाकर गोद रख लिया था और क्योंकि कंकु बाई एवं वरदा के कोई जाईन्दा पुत्र पुत्री अथवा संतान नही थी उनकी बुढापे में सेवा करने वाला कोई नही था और कंकु बाई एवं वरदा हिन्दु धर्म को मानने वाले थे और हिन्दु धर्म में किसी व्यक्ति के मरने के पश्चात उसके धार्मिक कर्म

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

श्राद्ध अथवा पिण्डदान वगैरह उसके एक वैध पुत्र के द्वारा ही किया जा सकता है इस कारण कंकु बाई ने वादी को नाबालिग अवस्था में ही गोद ले लिया था किन्तु भविष्य में इस संबंध में कोई विवाद न रहे इस कारण से पुष्टि स्वरूप कंकु बाई ने दिनांक 01/09/1987 को इस संबंध में लिखत निष्पादित कर दी, तथा मौतबीर साक्षियों के हस्ताक्षर/ अंगुठा करा दिया गया। वादी को कंकु बाई ने अपने कोई जाईन्दा संतान नही होने से गोदपुत्र के रूप में स्वीकार कर गोदनामा निष्पादित करवाया तथा इसके पूर्व दिनांक 16/06/1985 को एक वसीयत नामा भी निष्पादित करवाया गया जिससे वादी वसीयत के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी हैं। वादी ने कंकु बाई की अंतिम समय तक सेवा की व वरदा की मृत्यु दिनांक 3/11/1981 को ग्राम पुठोल में हो चुकी है, वरदा की मुत्यु के पश्चात वरदा की पत्नि कंकु बाई ने वादी को अपने गोदपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया तथा लिखतम निष्पादित की गई उसके पश्चात कंकु बाई की मृत्यु दिनांक 21/10/1988 को ग्राम पुठोल में हो चुकी है इनकी मृत्यु के बाद अंतिम क्रियाकर्म भी ग्राम पुठोल में ही वादी द्वारा ही एक पुत्र होने के नाते वादी से करवाया गया तथा इन दोनों की अंतिम ईच्छा अनुसार मोसर एवं पिण्डदान भी वादी द्वारा ही किया गया जिससे वादी ही उक्त हिस्से की भूमियों पर काश्त करते चला आ रहा है इसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कंकु बाई/वरदा के कोई वारिसान नही होना बताकर स्वयं को ही वारिस होना बताकर ग्राम पंचायत में मिलीभगत कर वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया और जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में अपनी माता गंगा बाई का हिस्सा ही प्राप्त करने की अधिकारीणी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने गलत रूप से वादी को अपने अधिकारों से वंचित रखने के आशय से ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर वादपत्र की कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित सम्पूर्ण भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अकेले अपना नाम अंकित करवा दिया। जबकि कंकु बाई के हिस्से की भूमियों पर वादी को गोद रखने के पश्चात आधिपत्य चला आ रहा हैं। वादी वादपत्र की कलम संख्या 01 व 02 में वर्णित भूमियों पर पिछले करीब 30 वर्षो से भी अधिक समय तक निरन्तर निर्विघ्न रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है जबकि कंकु बाई का हिस्सा वादी का एक वैध गोदपुत्र होने के नाते प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे उक्त वाद पेश किया जा रहा है तथा वादी वादपत्र की कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में कंकु बाई के हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 3 राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से एवं वादपत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा का होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। अन्यथा इनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। वादी वादपत्र की कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में कंकु बाई के हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी है जिससे वादी को प्राप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादी किसी भी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप दखलन्दाजी कारित नही करे एवं न ही वादग्रस्त भूमियों का अन्तरण करें, इस हेतु वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादी दिनांक 25/10/2017 को उक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों की जमाबंदी नकल लेने पटवारी के पास पहुंचा तथा जमाबंदी की नकल निकलवाई तब उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई जिससे वादी का वाद हेतुक दिनांक 25/10/ 2017 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। वादपत्र की कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियां कृषि भूमियां होने से एवं ग्राम चांपाखेडी ग्राम पंचायत तहसील रेलमगरा में स्थित होने से उक्त वाद की सुनवाई का

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको है। वादी के वाद मुल्यांकन 1 लाख रूपया कायम किये जाकर निश्चित न्यायशुल्क कुल 4/– रूपये पर अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियो मे वादी का 1/2 हिस्सा एवं कलम संख्या 2 में वर्णित सम्पूर्ण हिस्से का वादी को खातेदारी अधिकारी घोषित फरमाया जाने की डिक्री प्रदान करने का आदेश फरमाया जावें। वादपत्र की कलम संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में वादी को प्राप्त होने वाली भूमियों में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी भी प्रकार से बाधा हस्तक्षेप दखलन्दाजी कारित नही करे एवं न ही किसी अन्य से करावें। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जावें। वादी को वाद व्यय वकील मेहनताना प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिलाया जावें। व अन्य समूचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलाई जावें। प्रतिवादी के विरूद्व दिनांक 2/3/2020 को जवाब दावा का अवसर बंद किया गया एवं दिनांक 17/2/2021 को अधिवक्त प्रतिवादी ने हिदायत पैरवी होना जाहिर किया। जिससे दिनांक 17/2/2021 को प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। तथा विपक्षीगण संख्या 03 के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू– 01, 02, 03 के शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन वाद पक्ष की ओर से न्यायालय में मुख्य परीक्षण में से शपथ कथन अंकित नही किया गया है एवं प्रदर्श 01 व 02 जमाबंदी की नकल प्रदर्शित कराई गयी प्रदर्श 3A पंजीकृत व बिना स्टाम्प पर सादे कागज पर गोदनामा बताया गया व प्रदर्श 05 के रूप में नामान्तरकरण संख्या 433 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी, उपरोक्त दस्तावेजों पर न्यायालय किसी प्रकार की विवेचना किये बिना न्यायालय के विनम्र मत में गोद के सन्दर्भ में राजस्व न्यायालय को कोई क्षैत्राधिकार नही है। वादी को सिविल न्यायालय में गोद के सन्दर्भ में घोषणा का अनुतोश प्राप्त करना असार्थात्मक विधि के प्रावधान है, वादी के द्वारा गोद के आधार पर घोषणात्मक अनुतोश प्राप्त नही किया गया, जिससे राजस्व न्यायालय को गोद के आधार पर घोषणा करने का कोई क्षैत्राधिकार नही है, जिससे वादी का वाद श्रवणाधिकार के अधिकार की अधिकारिता के अभाव मे वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तदनुसार ओपचारिक डिक्री पृथक से जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

Sd/-

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दू बाला राजावत **आर०ए०एस०**

प्रकरण संख्या :– 37 / 2018

दायर दिनांक :– 28 / 03 / 2018

निर्णय दिनांक :–26 / 02 / 2026

अनवान्

2. रमेश पिता किशन बलाई निवासी पुठोल ग्राम पंचायत मुण्डोल तहसील व जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

4. रतनी पति गोपीलाल पिता जेता बलाई निवासी खेडा बोरज तहसील व जिला राजसमन्द
5. देउ पति भंवर पिता जेता बलाई निवासी वाडा पसुन्द तहसील व जिला राजसमन्द
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से – श्री मदनलाल सालवी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से – पैरोकार सरकार

दिनांकः–26 / 02 / 2026

वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा

– : : निर्णय : : –

में इस आशय मे दिनांक 26 / 02 / 2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का आंशिक रूप से वाद अस्वीकार किया जाकर वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू– 01, 02, 03 के शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन वाद पक्ष की ओर से न्यायालय में मुख्य परीक्षण में से शपथ कथन अंकित नही किया गया है एवं प्रदर्श 01 व 02 जमाबंदी की नकल प्रदर्शित कराई गयी प्रदर्श 3A पंजीकृत व बिना स्टाम्प पर सादे कागज पर गोदनामा बताया गया व प्रदर्श 05 के रूप में नामान्तरकरण संख्या 433 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी, उपरोक्त दस्तावेजों पर न्यायालय किसी प्रकार की विवेचना किये बिना न्यायालय के विनम्र मत में गोद के सन्दर्भ में राजस्व न्यायालय को कोई क्षैत्राधिकार नही है। वादी को सिविल न्यायालय में गोद के सन्दर्भ में घोषणा का अनुतोष प्राप्त करना असार्थात्मक विधि के प्रावधान है, वादी के द्वारा गोद के आधार पर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संतोषजनक अनुतोष प्राप्त नही किया गया, जिससे राजस्व न्यायालय को गोद के आधार पर घोषणा करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है, जिससे वादी का वाद श्रवणाधिकार के अधिकार की अधिकारिता के अभाव में वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तदनुसार औपचारिक डिक्री पृथक से जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

(बिन्दु बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा